के.एस. राममूर्ति रेड्डीर

बनाम

मुख्य आयुक्त, पांडिचेरी एवं अन्य

(बी.पी. सिन्हा, सी.जे., पी.बी. गजेन्द्रगडकर,

के.एन. वांचू, के.सी. दास गुप्ता जे.सी. शाह जेजे.)

स्टेज कैरिज परमिट – पांडिचेरी के मूल निवासी को अनुदान – मुख्य आयुक्त अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि - जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव- सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार- राज्य - भारत सरकार के नियंत्रण में - अर्थ – भारत का संविधान, अनुच्छेद 12, 15, 32, 136।

याचिकाकर्ता, पांडिचेरी का निवासी, स्टेज कैरिज परमिट के लिए एक आवेदक, राज्य परिवहन प्राधिकरण पांडिचेरी के समक्ष, 14 अन्य व्यक्तियों के साथ। एक पेरुमल पदयाची को परमिट दिया गया था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह पांडिचेरी का मूल निवासी था अन्य तथ्यों के साथ याचिकाकर्ता, जिसका आवेदन परमिट अस्वीकार कर दिया गया, अपील में गया अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष, जिन्होने अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और दलील दी जन्म स्थान के आधार पर प्राथमिकता संविधान के अनुच्छेद १५ का उल्लंघन है। जिन तारीखों पर आदेशों पर आपत्ति करने की मांग की गई थी, पांडिचेरी अभी तक भारत के क्षेत्र का हिस्सा, नहीं या लेकिन जब याचिका को सुना गया तब पांडिचेरी भारत के क्षेत्र का हिस्सा बन गया। उत्तरदाता की ओर से तर्क दिया गया कि एन.मस्थान साहिब बनाम चीफ कमिश्नर, [1962] पूरक 1 एस.सी.आर. 981, के फैसले में टिप्पिण्यों के आधार पर रिट याचिका रखरखाव योग्य नहीं है।

आयोजित अनुच्छेद 12 शब्द "के नियंत्रण में भारत सरकार" शब्द "प्राधिकरण"

के योग्य है न कि नहीं शब्द "क्षेत्र" और अनुच्छेद 12 राज्य शपथ की एक विशेषांक परिभाषा देता है।

इसके अलावा, यह भी माना गया कि यदि जिस समय आदेश पारित किया गया था उस समय कोई रिट जारी नहीं की जा सकती थी, और पाडिचेंरी भारत का हिस्सा बनने के बाद भी पिछले कृत्यों के संबंध में भी जारी नहीं हो सकती क्याेकि यह संविधान को एक पूर्वव्यापी संचालन प्रदान करेगा।

जनार्दन रेड्डी बनाम राज्य, [1950] एससीआर 940 को भी संदर्भित किया।

यह भी माना गया कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी भारत के बाहर के क्षेत्र की ओर लेकिन उनका प्रशासन भारत सरकार के अधीन हो तो यह भारत सरकार का नियंत्रण नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति के रूप में "नियंत्रण" का अर्थ है कि निर्देश जारी करने की शक्ति कोई कार्य किसी वरिष्ठ प्रधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ अधिकारी के दवारा कैसे कराया जा सकता है। प्राधिकरण, और एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी संख्या के मामले में ऐसे निर्देश या आदेश जारी नहीं किये जा सकते हैं। यह केवल कायर्कारी मामले में है जो कि एक वरिष्ट प्राधिकारी अधीनस्थ प्राधिकारी को निद्रेषित कर सकता है कि कोइ विशेष कार्य किसी विशेष तरीके से किया जाये। जहां कानून का शासन लागू होता है, वहां पर सरकार चाहे भारत सरकार या राज्य की सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरण को निदेशित कर सके कोई विशेष मामले का निर्णय विशेष ढंग से किया जायें।

एन. मस्तान साहिब बनाम मुख्य आयुक्त, [1962] पूरक 1 एस.सी.आर 981, को भी संदर्भित किया गया।

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि मुख्य आयुक्त जो अपीलीय प्राधिकारी है इस मामले में, 'राज्य' की परिभाषा से बाहर है। वह एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी है जो

भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है और इसलिए संविधान का अनुच्छेद 15 उन पर लागू नहीं होता है और अनुच्छेद 15 मुख्य आयुक्त के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करता है।

सिविल अपीलीय/मूल क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 569/1962।

मुख्य आयुक्त, पांडिचेरी के अपील संख्या 94/1960 में पारित विशेष अनुमति द्वारा अपील आदेश दिनांक 9 सितंबर, 1960 से।

साथ

रिट याचिका संख्या 347/1960

याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए।

अपीलकर्ता की ओर से एन.सी. चटर्जी, आर.के. गर्ग और एस.सी. अग्रवाल।

उत्तरदाता संख्या 1 की और से (सीए नंबर 569/61) में सी.के दफ्तरी, भारत के सॉलिसिटर-जनरल, बी.आर.एल. अयंगर और आर.एन सच्चे।

उत्तरदाता संख्या 2 की और से (सीए 569/61) में आर. महालिंगा अय्यर।

उत्तरदाता संख्या 3 की और से (सीए 569/61) में आर. त्यागराजन।

22 जनवरी १९६३ न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति वांचू के द्वारा दिया गया था - अपील और रिट याचिका (मुख्य आयुक्त, पांडिचेरी) मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के एक ही आदेश से उत्पन्न हुई है और दोंनों को साथ में सुना जाये। याचिकाकर्ता उन चौदह व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने राज्य परिवहन प्राधिकरण, पांडिचेरी के समक्ष स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया गया और हमारे सामने प्रतिवादियों में से

एक पेरुमल पदयाची को परमिट दे दिया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने विभिन्न कारकों पर विचार किया, जिनमें से एक यह था कि पेरुमल पदयाची पांडिचेरी के मूल निवासी थे और सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, पेरुमल पदयाची को परमिट दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी, जो पांडिचेरी के मुख्य आयुक्त हैं, के समक्ष अपील की। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को खारिज कर दिया और कहा कि भले ही इसे स्वीकार कर लिया गया हो कि याचिकाकर्ता का दावा कमोबेश पेरुमल पदयाची के दावे के बराबर था, बाद वाला इस आधार पर वरीयता का हकदार होगा कि वह पांडिचेरी का मूल निवासी है। हम यह कह सकते हैं। कि हालांकि याचिकाकर्ता पांडिचेरी में रहता था, लेकिन वह पांडिचेरी का मूल निवासी नहीं था। अपील को खारिज करने वाला यह आदेश 9 सितंबर, 1960 को पारित किया गया था। इस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति के साथ अपील दायर की गई है। 'याचिकाकर्ता ने भी इस आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की है जिसमें उसने यही मुद्दे उठाए हैं। अगला पद याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य तर्क यह है कि अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से पता चलता है कि पेरुमल पदयाची को इस आधार पर वरीयता दी गई थी कि वह पांडिचेरी का मूल निवासी था (यानी उसका जन्म पांडिचेरी में हुआ था), जबकि याचिकाकर्ता महज एक नागरिक था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जन्म स्थान के आधार पर इस तरह की वरीयता संविधान के अनुच्छेद १५ देना कला के तहत प्रभावित है। संविधान के 15 क्योंकि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि "राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, मामले, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा"।

याचिकाकर्ता का यह तर्क उत्तरदाताओं की ओर से इस प्रकार पूरा किया जाता है। उत्तरदाताओं का कहना है कि प्रासंगिक समय में, पांडिचेरी भारत के क्षेत्र में नहीं था और संविधान इस पर लागू नहीं होता था। इसलिए, याचिकाकर्ता को अनुच्छेद १३६ के

तहत विशेष अनुमति के लिए इस न्यायालय में आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही याचिकाकर्ता को अनुच्छेद ३२ के तहत रिट याचिका के माध्यम से आगे बढ़ने का अधिकार होगा । उस आदेश के विरुद्ध जो पांडिचेरी में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उस समय पारित किया गया था जब पांडिचेरी भारत के क्षेत्र में नहीं था। इस संबंध में उत्तरदाताओं की ओर से एन. मस्थान साहिब बनाम मुख्य आयुक्त, पांडिचेरी (१९६२) supp. 2.SC.R.981) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है। याचिकाकर्ता भी इस न्यायालय के उसी फैसले पर भरोसा करता है। उनकी ओर से यह स्वीकार किया गया है कि उस निर्णय के मद्देनजर याचिकाकर्ता के लिए अनुच्छेद १३६ के तहत इस न्यायालय में आवेदन करना खुला नहीं था ओर इसलिए अपील सुनवाई योग्य नहीं हो सकती है। लेकिन यह आग्रह किया जाता है कि अनुच्छेद १२ के तहत। संविधान के भाग III के प्रयोजन के लिए राज्य को "'भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों" जो भारत सरकार के नियंत्रण में है को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि भले ही जब चुनौती के तहत आदेश पारित किया गया था तब पांडिचेरी भारत का हिस्सा नहीं था, अपीलीय प्राधिकरण जिसने आदेश पारित किया था वह स्थानीय या अन्य प्राधिकरण" भारत सरकार" जो भारत सरकार के नियंत्रण था और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा यह आग्रह किया गया है कि जब मस्तान साहिब के मामले (1) का फैसला हुआ, तब जो भी स्थिति रही हो अब पांडिचेरी अगस्त 1962 से भारत और इसलिए यह न्यायालय अब अपीलीय प्राधिकारी को रिट जारी कर सकता है यदि चुनौती के तहत आदेश संविधान की धारा 15 का उल्लंघन करता है। हालांकि, उत्तरदाताओं का तर्क है कि यह तर्क है कि पांडिचेरी अब भारत के क्षेत्र में है, इससे मस्तान साहब के मामले (1) में निर्णय के आवेदन में कोई

फर्क नहीं पड़ता। यह प्रस्तुत किया गया है कि जिन कारणों से उस मामले में बहुमत ने रिट जारी करने से इनकार कर दिया, उनका स्पष्ट अर्थ है (भले ही अब उठाए गए प्रश्न पर स्पष्ट शब्दों में कोई वास्तविक निर्णय न हो) कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी को अनुच्छेद १२ के अर्थ के अंतर्गत "भारत सरकार के नियंत्रण में" एक प्राधिकरण होना नहीं कहा जा सकता है और इसलिए. अपीलीय प्राधिकरण, जो एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण था, भारत सरकार के अधीन नहीं था और अनुच्छेद ३२ के तहत रिट के अधीन भी नहीं हो सकता। उस समय जब चुनौती के तहत आदेश पारित किया गया था। इसके अलावा, चूंकि संविधान पूर्वव्यापी प्रभाव में नहीं है, यह तथ्य कि पांडिचेरी अगस्त 1962 से भारत के क्षेत्र का हिस्सा है, इस न्यायालय को अब रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं देगा, जब वह सितंबर, 1960 में अपीलीय प्राधिकरण को रिट जारी नहीं कर सका। यहाँ तक कि संविधान के अनुच्छेद १२ के साथ अनुच्छेद ३२ पढ़ना भी।

इससे पहले कि हम रिट याचिका में उठाए गए सवालों पर विचार करें, हम यह बता सकते हैं कि जहां तक अपील का सवाल है, यह मस्तान साहिब के मामले (1) के फैसले से समाप्त होती है। अनुच्छेद 136 इस न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी वाद या मामले में पारित किये गये या दिये गये किसी भी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दण्डादेश या आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की शक्ति देता है। माना जाता है कि आदेश पारित होने के समय पांडिचेरी भारत के क्षेत्र में नहीं था और इसलिए अनुच्छेद 136 ऐसे आदेश पर लागू नहीं होगा. हमने पहले ही संकेत दिया है कि याचिकाकर्ता की ओर से यह पद स्वीकार किया गया है। इसलिए जहां तक अपील का सवाल है, इसे मस्तान साहब के मामले (1) के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए, हालांकि इन परिस्थितियों में हम लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेंगे।

अब रिट याचिका की ओर देखते हुए, मुख्य प्रश्न जो विचाराधीन है वह अनुच्छेद १२ का प्रभाव है। और क्या उस अनुच्छेद १२ की उचित व्याख्या पर, इस मामले में अपीलीय प्राधिकरण को "भारत सरकार के नियंत्रण में एक स्थानीय या अन्य प्राधिकरण" कहा जा सकता है। उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि यह मामला भी मस्तान साहिब के मामले (1) में बहुमत के निर्णय से समाप्त होगा, और उस निर्णय का प्रभाव यह है कि एक न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकारी को अनुच्छेद१२ के अंतर्गत भारत सरकार के नियंत्रण में होना नहीं कहा जा सकता है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का तर्क है कि उस मामले में ऐसा कोई निर्णय नहीं था जैसा कि निर्णय के अंतिम भाग से पता चलेगा और इसलिए प्रश्न हमारे सामने विचार के लिए खुला है।

चूंकि दोनों पक्ष उस निर्णय पर भरोसा करते हैं इसलिए हम उसके प्रासंगिक भाग को उद्धृत कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि उस मामले में निर्णय दो भागों में था, पहला भाग 28 अप्रैल, 1961 को सुनाया गया था और अंतिम भाग 8 दिसंबर, 1961 को सुनाया गया था, हालांकि रिपोर्ट में केवल अंतिम भाग शामिल है। 28 अप्रैल, 1961 को दिए गए उस निर्णय का प्रासंगिक भाग जो पहले भाग में दिखाई देता है, इस प्रकार है:--

"विद्वान वकील ने बताया कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान की धारा 32 के तहत इस न्यायालय की शक्ति के प्रयोग के उद्देश्य से इसका अधिकार क्षेत्र भारत के क्षेत्र के भीतर काम करने वाले अधिकारियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका विस्तार उन तक भी था जो भारत के क्षेत्र के बाहर भी कार्य करने वाले प्राधिकारियों को निर्देश देना और आदेश जारी करना, बशर्ते कि ऐसे प्राधिकारी भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन हों। यह निवेदन हमें उचित प्रतीत होता है और अनुच्छेद ३२ के तहत इस न्यायालय की शक्तियाँ किसी भी क्षेत्रीय सीमा से घिरा नहीं है। यह न

केवल भारत के क्षेत्र के भीतर बल्कि बाहर काम करने वाले प्रत्येक प्राधिकरण पर भी लागू होता है, बशर्ते कि ऐसे प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में हों।

फिर संविधान के अनुच्छेद 142 और 144 पर विचार करने के बाद औरअनुच्छेद 142 द्वारा लगाई गई सीमाओं को ध्यान में रखते हुए। उस क्षेत्र पर जिसके भीतर अकेले इस न्यायालय के आदेशों या निर्देशों को सीधे लागू किया जा सकता है, एक प्रश्न पोस्ट किया गया था कि क्या किसी भारत के बाहरी क्षेत्र के प्राधिकरण हालाँकि ऐसा प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में है, द्वारा पारित अर्ध-न्यायिक आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी या अन्य उचित आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट है, जारी कर सकता है। इस प्रकार पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बहुमत निर्णय इस प्रकार देखा गया:-

> "यदि भारत के क्षेत्र के बाहर काम करने वाले प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में है ओर आदेश कार्यकारी या प्रशासनिक प्रकृति का था, तो भारत सरकार के खिलाफ उपयुक्त आदेश पारित करके उन्हें भारत के क्षेत्र के बाहर प्राधिकरण पर नियंत्रण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस न्यायालय के निर्णय को प्रभावी करने का निर्देश देकर याचिकाकर्ता को अनुच्छेद ३२ के तहत राहत दी जा सकती है। ऐसा आदेश अनुच्छेद 144 के साथ अनुच्छेद 142 के आधार पर लागू किया जा सकता है । लेकिन ऐसे मामले में जहां बाहरी प्राधिकारी का आदेश अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है, जैसा कि हमारे सामने मामले में है, हम मानते हैं कि ऐसी प्रक्रिया का सहारा लेना संभव नहीं है और यदि इस न्यायालय के आदेश या निर्देश सीधे तौर पर लागू किए जा सकते हैं पांडिचेरी में प्राधिकरण, आदेश अप्रभावी होगा और न्यायालय इस तरह का आदेश पारित करके खुद को अपमानित नहीं करेगा।"

तथापि, अंतिम आदेश में, पी. 1009 रिपोर्ट में, बहुमत ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> "रिट याचिकाएं भी विफल होनी चाहिए और इस कारण से खारिज कर दी जानी चाहिए कि मांगी गई राहत की प्रकृति और जिस प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ राहत का दावा किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें भी विफल होना चाहिए। उन्हें भी खारिज किया जाता है। हम यह जोड़ देंगे कि ये बर्खास्तगी नहीं होंगी पांडिचेरी के भारत के क्षेत्र का हिस्सा बनने की स्थिति में यदि वे चाहें तो याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय में जाने से रोकें।"

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उस मामले में बहुमत के फैसले से यह प्रतीत होता है कि अपीलीय प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में था क्योंकि अन्यथा उन दो प्रश्नों को रखना आवश्यक नहीं होता जो निर्णय के प्रथम भाग द्वारा भारत सरकार के सामने थे। इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि फैसले के अंतिम भाग में यह टिप्पणी कि उस मामले में याचिकाकर्ताओं को पांडिचेरी के भारत के क्षेत्र का हिस्सा बनने की स्थिति में, यदि वे चाहें, इस न्यायालय में जाने से नहीं रोका गया था, उस निर्णय में यह भी नहीं माना गया कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं हो सकते। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं थे, क्योंकि यदि वे होते तो उस मामले में भी उसी तरह से रिट जारी की जाती जैसे एक कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी का मामला, अर्थात भारत सरकार को एक रिट जारी की जा सकती है "उन्हें भारत के क्षेत्र के बाहर प्राधिकरण पर नियंत्रण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस न्यायालय के निर्णय को प्रभावी करने का निर्देश दिया जा सकता है"। हमने इस संबंध में बहुमत के निर्णय की टिप्पणियों

पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यह माना जाना चाहिए कि वह निर्णय उस प्रश्न पर प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है जो अब हमारे सामने रखा गया है, क्योंकि तब यह मुद्दा विशेष रूप से नहीं उठाया गया था; और स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया, हालाँकि जैसा कि हम बाद में बताएंगे, उक्त निर्णय का निहितार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद के विरुद्ध है। इसलिए हमें "भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों" शब्दों के सटीक दायरे और प्रभाव के बारे में किसी भी पक्ष के तर्कों की जांच करनी होगी, जैसे कि प्रश्न पुन: एकीकृत है .

याचिकाकर्ता की ओर से पहला तर्क यह है कि अनुच्छेद १२ में शब्द "'भारत सरकार के नियंत्रण में"। उसमें "प्राधिकरण" शब्द को अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि "क्षेत्र" शब्द को अर्हता प्राप्त करते हैं। इसलिए याचिकाकर्ता अनुच्छेद १२ के प्रासंगिक शब्दों को इस प्रकार पढा "भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या भारत सरकार के नियंत्रण के तहत क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण"। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के अनुसार, यह आवश्यक है कि वह क्षेत्र, भले ही वह भारत का क्षेत्र न हो, भारत सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, और यदि क्षेत्र भारत सरकार के नियंत्रण में है तो ऐसे क्षेत्र में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों को "राज्य" शब्दों में शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से तर्क यह है कि "भारत सरकार के नियंत्रण में" शब्द "प्राधिकरण" शब्द के योग्य हैं, न कि अनुच्छेद १२ के प्रासंगिक भाग में "क्षेत्र" शब्द के और वह भाग इसकी वास्तविक व्याख्या पर इस प्रकार पढ़ा जाएगा: "भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या भारत सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण"।

इस मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद हमारी राय है कि उत्तरदाताओं की ओर से प्रासंगिक शब्दों की जो व्याख्या की गई है, वह व्याकरणिक और अन्यथा दोनों ही दृष्टि से सही है। अनुच्छेद 12 "राज्य" शब्दों की एक समावेशी परिभाषा देता है

और अनुच्छेद के इन शब्दों में शामिल हैं, (i) भारत की सरकार और संसद, (ii) सरकार और प्रत्येक राज्य की विधायिका, और (iii) सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। ये एकमात्र प्राधिकारी हैं जो भाग III के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद १२ में "राज्य" शब्द में शामिल हैं। फिर उन शब्दों का अनुसरण करें जो "सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण" शब्दों को योग्य बनाते हैं। ये स्थानीय या अन्य प्राधिकरण जो अनुच्छेद १२ के "'राज्य" शब्दों के अंतर्गत शामिल हैं, को दो प्रकार के होते हैं, (i) भारत के क्षेत्र के भीतर, और (ii) भारत सरकार के नियंत्रण में। इस प्रकार "सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों" के लिए दो अर्हकारी खंड हैं।

(i) भारत के क्षेत्र के भीतर और (ii) भारत सरकार के नियंत्रण में। हमारी राय में "भारत सरकार के नियंत्रण में" शब्दों को क्षेत्र शब्द के रूप में पढ़ना व्याकरणिक रूप से गलत होगा। 'अनुच्छेद 12 की योजना से यह स्पष्ट है कि राज्य शब्द में अधिकारियों के तीन वर्गों को शामिल किया जाना है, तीसरा वर्ग दो प्रकार का है और योग्य शब्द जो "सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों" का अनुसरण करते हैं, ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों के दो प्रकारों को परिभाषित करते हैं जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है। इसके अलावा भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों में भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण शामिल हैं, चाहे वे भारत सरकार या विभिन्न राज्यों की सरकारों के नियंत्रण में हों और यहां तक कि स्वायत्त प्राधिकरण भी, जो सरकार के नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं हों। . इसके विपरीत दूसरा अर्हक खंड केवल ऐसे प्राधिकारियों को संदर्भित करता है जो भारत सरकार के नियंत्रण में हैं और इसलिए दूसरे अर्हक खंड को "प्राधिकरण" शब्द को नियंत्रित करना चाहिए।' इसलिए,

उत्तरदाताओं की ओर से दी गई व्याख्या हमें व्याकरणिक और अन्यथा दोनों ही दृष्टि से सही प्रतीत होती है। इस प्रकार "सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण" दो प्रकार के होंगे, (i) भारत के क्षेत्र के भीतर, और (ii) भारत सरकार के नियंत्रण में। बाद वाले

मामले में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि वे भारत के क्षेत्र में हों। वे जहां कहीं भी हों, भारत सरकार के नियंत्रण में हों तो बहुत है। इसलिए हमारी राय है कि जिस समय चुनौती के तहत आदेश पारित किया गया था उस समय अपीलीय प्राधिकारी को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती थी, जब तक कि इसे "भारत सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकारी" नहीं कहा जा सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है यदि आदेश पारित होने के समय अपीलीय प्राधिकारी को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती थी, तो पांडिचेरी के भारत के क्षेत्र का हिस्सा बनने के बाद अब कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह इस उद्देश्य के लिए संविधान को पूर्वव्यापी प्रभाव देना होगा जो स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता है। (जनार्दन रेड्डी बनाम राज्य (१९५०) S.C.R. 940 अगला सवाल यह है कि क्या भारत के क्षेत्र के बाहर लेकिन भारत सरकार के प्रशासन के तहत क्षेत्र के भीतर एक न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरण को भारत सरकार के नियंत्रण में कहा जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए हमें अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त "भारत सरकार के नियंत्रण में" शब्दों का अर्थ पता लगाना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई प्राधिकारी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है और भारत सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है, तो यह" "
होगा। यह आग्रह किया जाता है कि चूंकि मुख्य आयुक्त, जो अपीलीय प्राधिकारी है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, भारत सरकार द्वारा भुगतान किया गया था और भारत सरकार के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन था, इसलिएवह भारत सरकार के नियंत्रण के तहत एक प्राधिकारी होगा और इसलिए न्यायालय यह आदेश पारित होने पर भी उसके खिलाफ रिट जारी करने की हकदार होती, और इसके अतिरिक्त जब पांडिचेरी अब भारत के क्षेत्र में है। हालाँकि तर्क यह है कि यह न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध अनुच्छेद ३२ के तहत रिट जारी कर सकता है । उस समय भी जब

आदेश पारित किया गया था, मस्तान साहिब के मामले में बहुमत के निर्णय द्वारा स्पष्ट रूप से नकारात्मक है, क्योंकि यदि ऐसा किया जा सकता था, तो उस मामले में रिट जारी की गई होती। मस्तान साहिब के मामले में रिट जारी नहीं करने का कारण यह था कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण भारत के क्षेत्र से बाहर था और इस न्यायालय ने माना कि यदि प्राधिकरण कार्यकारी या प्रशासनिक प्रकृति का होता, तो भारत सरकार को ""उन्हें अपनी भारत के क्षेत्र के बाहर प्राधिकार पर नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग करके इस न्यायालय के निर्णय को प्रभावी करने का निर्देश देते हुए रिट जारी की जा सकती थी। लेकिन उस मामले में प्राधिकारी के रूप में 'वर्तमान मामले में

प्राधिकारी की तरह ही एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी था, ऐसी प्रक्रिया का सहारा लेना संभव नहीं था और यदि आदेश या निर्देश पांडिचेरी में प्राधिकरण के खिलाफ सीधे लागू नहीं हो सकते थे। आदेश अप्रभावी होगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण एक कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण की तरह भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं था और इसलिए इस न्यायालय के लिए यह संभव नहीं था भारत सरकार को एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी को निर्देश जारी करें कि वह "भारत के क्षेत्र के बाहर प्राधिकरण पर नियंत्रण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस न्यायालय के निर्णय को प्रभावी करे।" यह उस मामले में बहुमत का निर्णय इन टिप्पणीयो से पता चलाता है कि अनुच्छेद 12 में "भारत सरकार के नियंत्रण में" शब्दों द्वारा परिकल्पित नियंत्रण वह नियंत्रण नहीं है जो केवल नियुक्ति, भुगतान और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अधिकार से उत्पन्न होता है। अनुच्छेद १२ के तहत परिकल्पित नियंत्रण संबंधित प्राधिकारियों के कार्यों का नियंत्रण है, और उस नियंत्रण के आधार पर भारत सरकार का अधिकार है कि वह प्राधिकारी को ऐसे कार्यों के संबंध में एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए निर्देश दे। अब यदि अधिकारी प्रशासनिक या कार्यकारी होते तो भारत सरकार का नियंत्रण न केवल नियुक्ति, भुगतान और अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार

पर होता, बल्कि इसका विस्तार प्राधिकरण को अपने कार्यों को एक विशेष तरीके से और विशुद्ध रूप से करने के निर्देश देने तक भी होता। और कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को हमेशा भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है जिसके तहत वह अपने कार्यों के संबंध में एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए कार्य कर रही है। हालाँकि, यह अर्ध-न्यायिक या न्यायिक प्राधिकरण के बारे में नहीं कहा जा सकता है, भले ही भारत सरकार ने प्राधिकरण को नियुक्त किया हो और उसे भुगतान कर रही हो और कुछ परिस्थितियों में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार हो। यह भारत सरकार के लिए किसी अर्ध-न्यायिक या न्यायिक प्राधिकरण के कार्यों को नियंत्रित करने और उसके समक्ष किसी विशेष मामले को किसी विशेष तरीके से तय करने का निर्देश देने के लिए खुला नहीं था । इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अनुच्छेद १२ के तहत जिस नियंत्रण की परिकल्पना की गई है वह प्राधिकरणों के कार्यों का नियंत्रण है और यह तभी होता है जब भारत सरकार किसी प्राधिकरण के कार्यों को नियंत्रित कर सकती है, तभी यह कहा जा सकता है कि प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में है। ऐसा नियंत्रण विशुद्ध रूप से कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी के मामले में संभव है; अर्ध-न्यायिक या न्यायिक प्राधिकरण के मामले में यह असंभव है, क्योंकि चीजों की प्रकृति में, जहां कानून का शासन प्रचलित है, वहा सरकार को यह अधिकार नहीं है कि चाहे वह भारत सरकार हो या किसी राज्य की सरकार , किसी अर्ध-न्यायिक या न्यायिक प्राधिकारी को उसके समक्ष किसी विशेष मामले को एक विशेष तरीके से तय करने का निर्देश देना। इसलिए, यह नियंत्रण की प्रकृति है जिसे भारत सरकार को अवश्य प्रयोग करना चाहिए ताकि भारत के क्षेत्र के बाहर काम करने वाले एक प्राधिकरण को अनुच्छेद १२ के अर्थ के तहत भारत सरकार के नियंत्रण में एक प्राधिकरण कहा जा सके किन्तु एक अर्ध-न्यायिक या न्यायिक प्राधिकरण को इस अर्थ में भारत सरकार के नियंत्रण में एक प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है।

इसलिए हमारी राय है कि अर्ध-न्यायिक होने के कारण अपीलीय प्राधिकारी को भारत सरकार द्वारा उसके समक्ष किसी विशेष मामले को एक विशेष तरीके से तय करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह भारत सरकार के नियंत्रण में एक प्राधिकरण है। जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, यह मस्तान साहब के मामले में बहुमत के तर्क से आता है, हालांकि उस मामले में यह विशेष रूप से तय नहीं किया गया था। इसलिए हमारी राय है कि भारत सरकार द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में लेकिन भारत के क्षेत्र के बाहर कार्यरत न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों को अनुच्छेद १२ के तहत भारत सरकार के नियंत्रण में प्राधिकारी नहीं कहा जा सकता है और इसलिए अनुच्छेद 12 भारत के क्षेत्र के बाहर कार्यरत ऐसे प्राधिकरणों पर लागू नहीं होगा । नतीजतन, इस न्यायालय अनुच्छेद १२ सहपठित अनुच्छेद ३२ के तहत रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। भले ही वह प्राधिकारी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जा सकता हो या भारत सरकार के पास उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति हो। इस प्रकार अपीलीय प्राधिकरण एक अर्धन्यायिक प्राधिकरण होने के नाते अनुच्छेद १२ के अर्थ के तहत भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं होगा इसलिए इस न्यायालय को अधिकार नहीं है जब यह आदेश पारित किया गया तो चुनौती के तहत आदेश के खिलाफ रिट जारी कर सकें।परिणामस्वरूप इस न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि पांडिचेरी भारत का हिस्सा बन गया है और पांडिचेरी के भारत का हिस्सा बनने से पहले उसके द्वारा पारित आदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकरण को रिट जारी कर सके, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए संविधान पूर्वव्यापी नहीं है।

मामले को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है. अनुच्छेद 15 राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। इसलिए यह तभी है जब अनुच्छेद १२

में परिभाषित राज्य (क्योंकि अनुच्छेद 15 के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित कुछ भी नहीं है) भेदभाव करता है, तब एक नागरिक अनुच्छेद १५ के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है औरअनुच्छेद ३२ के तहत इस न्यायालय से राहत मांगें । हालाँकि हमने माना है कि मुख्य आयुक्त एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी होने के नाते अनुच्छेद १२ के अर्थ के तहत भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं था। इसलिए, वह उस अनुच्छेद १२ के अंतर्गत राज्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा है, तो इसका मतलब यह है कि भेदभाव (यह मानते हुए कि कोई था) एक प्राधिकारी द्वारा था जो राज्य नहीं था। अनुच्छेद १५ का संरक्षण "राज्य" द्वारा भेदभाव के विरुद्ध है। इसलिए याचिकाकर्ता अनुच्छेद १५ के तहत उस समय मुख्य आयुक्त के विरुद्ध किसी भी सुरक्षा का हकदार नहीं होगा। जिस समय आक्षेपित आदेश दिया गया था। यह एक और कारण है कि वर्तमान याचिका विफल होनी चाहिए।

इसलिए हम अपील खारिज करते हैं और उसके संबंध में लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करते हैं। हम रिट याचिका को जुर्माने सहित खारिज करते हैं। अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक डेनिश बिशनोई, **(न्यायिक अधिकारी)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।